संख्या-29 /2021/I/103941/2021/71-4099/71/2021-4

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
अटल बिहारी वापजेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 05 अक्टूबर, 2021

विषय:- अटल बिहारी वापजेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के भवन निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-682-23-5-2021-11(सा)/2018 टी0सी0-3, दिनांक 25-08-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर निर्माणाधीन अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय , लखनऊ के भवन निर्माण कार्य हेतु गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में लागत रू0 20176.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष शासनादेश संख्या-15/2019/2140/71-4/2019-जी-137/2018 टी0सी0-6 दिनांक 23-12-2019 द्वारा धनराशि रू0 4000.00 लाख अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्र दिनांक 19.08.2021 के माध्यम से 75 प्रतिशत व्यय विवरण (उपयोगित प्रमाण पत्र) उपलब्ध कराते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित बजट/धनराशि के सापेक्ष रू0 60.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि अटल बिहारी वापजेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के भवन निर्माण हेतु प्रथम चरण के निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित प्रायोजना हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.12.2020 के क्रम में शासनादेश संख्या-04/2021/179/71-4-2021-जी0-137/2018 टी0सी0-6 दिनांक 02-02-2021 द्वारा रू0 20696.59 लाख (रूपये दो अरब छ: करोड़ छियान्नवे लाख उन्सठ हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू0 9000.00 लाख के सापेक्ष रू0 6000.00 लाख (रूपये साठ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. शसनादेश संख्या-04/2021/179/71-4-20210जी--137/0सी0टी 2018-6 दिनांक02 -02- 2021में उल्लिखित नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।
2. शासनादेश संख्या-15/2019/2140/71-4/2019-जी-137/0सी0टी 2018- 6दिसम्बर 23-12-2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-78-मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ0प्र0।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, अटल बिहारी वापजेयी, चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव